

रजिस्ट्री सं. डॉ० एल०-३३००४/९९

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 12, 2018/वैशाख 22, 1940

No. 174]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 2018/VAISAKHA 22, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

विषय: व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक योजना का विस्तार और संशोधन।

सं. 12/13/2017-डीपीडी-एमईआईटीबाई.— जबकि, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए भीम आधार व्यापारियों के अंगीकरणों को प्रोत्साहन देकर तथा भीम-यूपीआई प्लेटफार्मों के जरिए लेनदेनों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारियों के बीच भीम-यूपीआई के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापारियों के लिए "भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक" नामक एक योजना अधिसूचित की है।

जबकि, केंद्र सरकार ने भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 14 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 12/13/2017-डीपीडी के जरिए योजना के प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया है।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है।

अब केंद्र सरकार एतद्वारा व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैक योजना नामक विषय के अंतर्गत अधिसूचित भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

विषय: व्यापारियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) प्रोत्साहन योजना।

- पैराग्राफ 2 और 3 में किए गए प्रावधानों के लिए उपर्युक्त पैराग्राफों को निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात्:-

व्यापारियों के लिए भीम प्रोत्साहन योजना

1.1 पैराग्राफ 2.1: इस योजना का क्षेत्र उन फी एप्प प्रयोक्ताओं तक सीमित होना जिन्होंने स्वयं को "मैं व्यापारी हूं" के तौर पर घोषित किया है तथा जिनके पास एमसीसी "000" है तथा जो व्यापारी किसी ऐसे बैंक द्वारा ऑनबोर्ड किए गए हैं जो भीम-यूपीआई के जरिए भुगतान स्वीकार करते हैं या उनके पास "000" से मिल एमसीसी है। इस योजना की अवधि 12 महीने तक है यानि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक तथा इसे सरकार के निदेशों के आधार पर कभी भी पुनररक्षित किया जा सकता है।

1.2 पैराग्राफ 2.3: व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन स्लैब है :-

क. भीम मचैट : ऐसा भीम एप्प प्रयोक्ता जिसने स्वयं को "मैं व्यापारी हूं" के तौर पर घोषित किया है तथा जिनके पास एमसीसी "000" है निम्नलिखित प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा :

क्रेडिट लेनदेनों की संख्या (प्रतिमाह)	दुकानदारों को प्रोत्साहन (माह के अंत में)	शर्तें
प्रोत्साहन प्राप्त करना प्रारंभ करने के लिए किया जाने वाला न्यूनतम लेनदेन =>10	50 रु. प्रति लेनदेन की प्रोत्साहन की ऊपरी सीमा के साथ लेनदेन मूल्य का 10%	कैशबैंक के लिए योग्य न्यूनतम लेनदेन मूल्य 25 रु. है। प्रति माह प्रति व्यापारी अधिकतम कैशबैंक 1000 रुपए हैं। "माह" की गणना के लिए कलेप्डर माह का प्रयोग किया जाएगा।

ख) भीम - यूपीआई व्यापारी : यूपीआई के जरिए भुगतान प्राप्त करने वाला और "0000" से मिल एमसीसी वाला किसी भी बैंक का व्यापारी

क्रेडिट लेनदेनों की संख्या (प्रतिमाह)	दुकानदारों को प्रोत्साहन (माह के अंत में)	शर्तें
प्रोत्साहन प्राप्त करना प्रारंभ करने के लिए किया जाने वाला न्यूनतम लेनदेन =>5	50 रु. के प्रति लेनदेन पर प्रोत्साहन की ऊपरी सीमा के साथ लेनदेन मूल्य का 10%	प्रोत्साहन के लिए योग्य न्यूनतम लेनदेन मूल्य 25 रु. है। प्रति माह प्रति व्यापारी अधिकतम प्रोत्साहन 1000 रुपए है। "माह" की गणना के लिए कलेप्डर माह का प्रयोग किया जाएगा।

1.3 पैराग्राफ 3.1 प्रोत्साहन के लिए वहां हेतु दुकानदारों के परिभाषित लेनदेन मानदण्ड निम्नानुसार हैं :

क. स्वयं को "मैं दुकानदार हूं" घोषित करने वाले और एमसीसी "0000" वाले भीम एप्प प्रयोक्ता के लिए प्रतिमाह न्यूनतम 10 क्रेडिट लेनदेन और यूपीआई के जरिए भुगतान प्राप्त करने वाले तथा "0000" से अन्य एमसीसी वाले किसी भी बैंक के दुकानदार के लिए प्रतिमाह न्यूनतम 5 क्रेडिट लेनदेन।

ख. प्रोत्साहन के लिए योग्य लेनदेनों के लिए न्यूनतम लेनदेन मूल्य 25 रु. है।

1.4 पैराग्राफ 3.2 : अन्य मानदण्ड :

- व्यापारी भीम एप्प प्रयोक्ता हो सकता है या उसे किसी बैंक भीम-यूपीआई ग्राहक से भीम-यूपीआई से भुगतान प्राप्त कर सकता है।
- व्यापारियों के लिए भीम प्रोत्साहन योजना एक मासिक योजना है तथा इस योजना के अंतर्गत "माह" की गणना के लिए कलेप्डर माह का प्रयोग किया जाएगा।
- बाद में कलेप्डर माह के 10वें दिन या इससे पहले योग्य ग्राहकों के संबंधित खातों में प्रोत्साहन क्रेडिट किए जाएंगे।
- व्यापारियों को व्यापारियों के लिए भीम प्रोत्साहन योजना के साथ-साथ व्यक्तियों के लिए कैशबैंक योजना के अंतर्गत भी प्रोत्साहन प्राप्त हो सकते हैं। (व्यापारी और व्यक्ति का ओवरलेप स्वीकार्य है)

अनुबंध 1- हटाया जाना है।

अनुबंध 2- हटाया जाना है।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

Subject: Continuation and modification of BHIM Cashback Scheme for Merchants

No. 12/13/2017-DPD-MeitY.—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 05th June 2017, has notified a Scheme namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Cashback Scheme for Merchants', with the objective to promote usage of BHIM-UPI amongst merchants by incentivizing its adoptions and also to encourage transactions via BHIM-UPI platform.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, modified and extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 5th June 2017, notified under the subject namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Cashback Scheme for Merchants':-

Subject: "BHIM (Bharat Interface for Money) incentive scheme for Merchants"

1. For provisions in paragraph 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are substituted namely:-

BHIM incentive scheme for Merchants

1.1 Paragraph 2.1: The scope of the scheme shall be limited to BHIM App users who have declared themselves as "I am a merchant" and have MCC "0000" and Merchants on-boarded by any bank receiving payment through BHIM-UPI and have MCC other than "0000". The duration of the scheme is 12 months i.e. 1st April 2018 to 31st March 2019 and can be reviewed anytime based on the Government directions.

1.2 Paragraph 2.3: The incentive slabs for merchants are:

a) **BHIM Merchant** : BHIM App User who has declared himself as "I am a merchant" and have MCC "0000" will be eligible for following incentive:

No. of credit transactions (per month)	Incentive to the merchant (at the end of the month)	Conditions
Minimum credit transactions to be done to start earning the incentive =>10	10% of the transaction value with an upper cap of incentive of Rs 50 per transaction	Minimum transaction value eligible for incentive is Rs. 25; Maximum incentive is Rs. 1000 per merchant per month. Calendar month will be used for calculation of "month"

a) **BHIM-UPI merchants** : Merchant of any bank receiving payment through UPI and have MCC other than "0000"

No. of credit transactions (per month)	Incentive to the merchant (at the end of the month)	Conditions
Minimum transactions to be done to start earning the incentive =>5	10% of the transaction value with an upper cap of incentive of Rs 50 per transaction	Minimum transaction value eligible for incentive is Rs. 25; Maximum incentive is Rs. 1000 per merchant per month. Calendar month will be used for

		calculation of "month"
--	--	------------------------

1.3 Paragraph 3:

3.1 Defined transactions criteria for merchants to qualify for the incentive are:

a) Minimum of 10 credit transactions per month for BHIM App User who has declared himself as "I am a merchant" and have MCC "0000" and minimum of 5 credit transactions per month for the merchant of any bank receiving payment through UPI and have MCC other than "0000".

b) The minimum transaction value for the transactions eligible for incentive is Rs 25.

1.4 Paragraph 3.2: Other criteria:

- Merchant could be a BHIM app user or receiving payment through BHIM-UPI from any valid BHIM-UPI customer.
- BHIM incentive scheme for merchant is a monthly scheme and calendar month will be used for calculation of "month" under the scheme.
- Incentive will be credited to linked accounts of the eligible customers on or before 10th day of the subsequent calendar month.
- Merchant can earn incentive under BHIM incentive scheme for merchants as well as BHIM cashback scheme for individuals. (The overlap of merchant and individual is acceptable).

Annexure 1- To be deleted

Annexure 2 – To be deleted

GOPALAKRISHNAN S., Joint Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

विषय: व्यक्तियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफरल बोनस योजना का विस्तार और संशोधन (अब व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैंक योजना के नाम से पुर्णामित)।

सं.12/13/2017-डीपीडी- एमईआईटीवाई-।—जबकि, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए भीम प्लेटफॉर्म पर नए प्रयोक्ताओं को लाने के लिए भीम के भीजूदा प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहित देने और भीम के प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भीम का प्रयोग करते हुए लेनदेन करने के लिए नवीन प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहित करने और इसके माध्यम से लेनदेनों को बढ़ाने के उद्देश्य से 'भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैंक' नामक एक योजना अधिसूचित की है।

जबकि, केंद्र सरकार ने दिनांक 14 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 12/13/2017-डीपीडी के जरिए योजना को संशोधित किया और इसके प्रचालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है।

अब केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 5 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी, व्यक्तियों के लिए भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफरल योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, जो अब व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैंक योजना के रूप में नामित की गई है, मैं एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

पैराग्राफ 1, 2 और 3 में किए गए प्रावधानों के लिए उपर्युक्त पैराग्राफों में निम्नलिखित प्रावधानों को उपयुक्त ढंग में प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात् :-

1.1 पैराग्राफ 1.4 : डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार में शुरू की गई नवीन प्रौद्योगिकियों, प्लेटफॉर्मों और एप्स का अंगीकरण करने के लिए प्रोत्साहित योजनाओं का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है तथा ये प्रभावशाली साबित हुई हैं। व्यक्तियों के लिए

भीम कैशबैंक योजना" को भीम एप्प पर नवीन प्रयोक्ताओं की ऑनबोर्डिंग को प्रोत्साहित करने तथा भीम-यूपीआई आधारित लेनदेन के प्रयोग को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

भीम एप्प के डाउनलोड, इंस्टॉलिंग, भीम एप्प को अपने बैंक खातों के साथ लिंक करने वाले प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ाना और पहला वित्तीय लेनदेन सफलतापूर्वक करना।

भीम-यूपीआई के प्रयोग द्वारा लेनदेन की संख्या में बढ़ोत्तरी करना।

व्यक्तियों के लिए भीम कैशबैंक योजना

1.2 पैराग्राफ : 2.1 - इस योजना में दो घटक हैं क) भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन और ख) भीम-यूपीआई पर लेनदेन के लिए प्रोत्साहन। घटक 'क' के कार्यक्रम में केवल भीम एप्प प्रयोक्ता ही आते हैं और घटक 'ख' के कार्यक्रम में भीम एप्प के प्रयोक्ताओं के साथ-साथ बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प भी आते हैं। इस योजना की अवधि 12 महीने यानि 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक है तथा इसे सरकार के निर्देशों के आधार पर कभी भी पुनरीक्षित किया जा सकता है।

1.3 पैराग्राफ 2.3 - "ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन" का भुगतान भीम एप्प के ऐसे नवीन प्रयोक्ताओं को किया जाएगा जो अपने भीम एप्प को सफलतापूर्वक डाउनलोड कर उसे अपने बैंक के खाते/खातों के साथ जोड़ेंगे तथा भीम एप्प के जरिए सफलतापूर्वक एक वित्तीय लेनदेन करेंगे। "लेनदेन पर प्रोत्साहनों" का भुगतान ऐसे प्रयोक्ताओं को किया जाएगा जो भीम एप्प और बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प पर वित्तीय लेनदेन करते हैं।

1.4 पैराग्राफ : 2.4 - प्रोत्साहन निम्नलिखित के अनुसार दिए जाएंगे:

तालिका-I

भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग के लिए प्रोत्साहन

क्र.सं.	ऑनबोर्डिंग हेतु प्रोत्साहन	प्रति भीम एप्प प्रयोक्ता कुल राशि (रु. में)
1.	नये भीम एप्प को प्रयोक्ता द्वारा डाउनलोड, इंस्टॉल किए जाने और सफलतापूर्वक एक वित्तीय लेनदेन पूर्ण किए जाने पर	51

तालिका-II

भीम एप्प पर लेनदेनों हेतु प्रोत्साहन

क्र.सं.	लेनदेनों पर प्रोत्साहन	राशि (रु. में)	शर्तें
1.	विशिष्ट वित्तीय लेनदेन के लिए भीम और बैंकों भीम-यूपीआई एप्प प्रयोक्ता	25 प्रति लेनदेन	न्यूनतम लेनदेन मूल्य 100 रु. होना चाहिए। प्रति कलेंडर माह अधिकतम 20 विशिष्ट लेनदेनों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। केवल विशिष्ट लेनदेन ही प्रोत्साहन केलिए पात्र होंगे।
2.	भीम और वित्तीय लेनदेन के लिए बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प प्रयोक्ता	प्रति लेनदेनों माह की संख्या प्रति माह प्रोत्साहन (रु.)	न्यूनतम लेनदेन मूल्य 10 रु. होना चाहिए। "माह" की गणना के लिए कलेंडर माह का प्रयोग किया जाएगा।
		>= 25 पर 50 से कम	100
		>= 50 पर 100 से कम	200
		> 100	250

1.5 पैराग्राफ 3.1: प्रोत्साहन अर्जित करने के लिए योग्यता:

क) "भीम एप्प पर ऑनबोर्डिंग हेतु प्रोत्साहन" के लिए प्रयोक्ता को भीम एप्प को डाउनलोड, इन्स्टॉल वैक खाते/खातों के साथ जोड़ना होता है तथा किसी भी मूल्य का वित्तीय लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा करना होता है। प्रोत्साहन का भुगतान केवल एक बार किया जाएगा तथा यह केवल नवीन प्रयोक्ताओं के लिए ही किया जाएगा।

ख) तालिका-II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार "भीम-यूपीआई पर लेनदेनों हेतु प्रोत्साहन" का भुगतान विशिष्ट भुगतानों सहित कुल वित्तीय लेनदेनों दोनों के लिए अलग-अलग किया जाएगा।

II. विशिष्ट लेनदेनों पर प्रोत्साहन के लिए भीम एप्प और/या बैंकों के भीम-यूपीआई एप्प पर वित्तीय लेनदेन करने वाले प्रयोक्ता प्रत्येक कलेंडर माह में अधिकतम 20 विशिष्ट लेनदेनों पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। व्यूनतम लेनदेन मूल्य 100 रु. होना चाहिए।

III. 10रु. या इससे अधिक मूल्य के प्रयोक्ता लेनदेन तालिका-II की क्र.सं. 2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

ग) हटाया जाना है।

1.6 पैराग्राफ 3.2: हटाया जाना है।

1.7 पैराग्राफ 3.3:

क. भीम एप्प और बैंकों या *99# के भीम-यूपीआई एप्प से केवल वैध अनुमोदित लेनदेनों पर योजना हेतु विचार किया जाएगा।

ख. किसी भी दो भीम-यूपीआई प्रयोक्ताओं/वीपीए की बीच "विशिष्ट लेनदेन" प्रथम वित्तीय लेनदेन है।

ग. लेनदेनों पर प्रोत्साहन का भुगतान उस प्रयोक्ता को किया जाएगा जिसका खाता "वैध वित्तीय लेनदेन" के लिए डेविट किया गया है।

घ. "वैध वित्तीय लेनदेन": 1 रु. या इससे अधिक तथा 100,000 रु. या इससे कम की राशि का एक बैंक खाते से अन्य बैंक खाते में अंतरण।

ड. हटाया जाना है।

च. हटाया जाना है।

अनुबंध 1- हटाया जाना है।

अनुबंध 2- हटाया जाना है।

गोपालकृष्णन एन., संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

Subject: Continuation and modification of BHIM (Bharat Interface for Money) referral bonus scheme for individuals (Now named as BHIM Cashback scheme for Individuals)

No. 12/13/2017-DPD-MeitY.—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 05th June 2017, has notified a Scheme namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Referral Scheme for Individuals', with the objective to incentivize the existing users of BHIM to bring new users on BHIM platform and encourage new users to do transactions using BHIM with the target to increase the number of users for BHIM and also increase the transaction thereof.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, modified and extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 5th June 2017, notified under the subject namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Referral Scheme for Individuals' now named as BHIM cashback scheme for Individuals:-

For provisions in paragraph 1, 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are substituted namely:-

1.1 Paragraph 1.4: In the promotion of digital payments, incentive schemes are widely used to promote adoption of the new technologies, platforms and apps that are launched in the market and it has proved effective. The “BHIM cashback scheme for individuals” has been designed to encourage the onboarding of new users on the BHIM App and increase the usage of BHIM-UPI based transactions. The objectives of the scheme are:

- Increase the number of users downloading, installing, linking BHIM App with their bank accounts and making first successful financial transaction.
- Increase in the number of transactions using BHIM-UPI

BHIM cashback scheme for Individuals

1.2 Paragraph: 2.1 The scheme has two components a) Incentive for onboarding over BHIM App and b) Incentive on transactions over BHIM-UPI. The scope of the component ‘a’ is only BHIM app users and the scope of the component ‘b’ is the users of BHIM app as well as BHIM-UPI apps of the banks. The duration of the scheme is 12 months i.e. 1st April 2018 to 31st March 2019 and can be reviewed anytime based on the Government directions.

1.3 Paragraph: 2.3 The “incentive for onboarding” will be paid to the new users of the BHIM app who successfully download the BHIM app, link the BHIM app with their bank account/s and undertake one successful financial transaction through BHIM app. The “incentive on transactions” will be paid to the users undertaking financial transactions on the BHIM app and/or BHIM-UPI apps of the banks.

1.4 Paragraph: 2.4 The incentives will be paid as per the following:

TABLE-I
Incentive for onboarding on BHIM app

S. No.	Incentive for onboarding	Total amount (in Rs.) per BHIM app user
1	New BHIM app user on downloading, installing and successfully completing one financial transaction	51

TABLE-II
Incentive on transactions over BHIM-UPI

S. No.	Incentive on transactions	Amount (in Rs.)		Conditions
1	BHIM and BHIM-UPI app users of banks for unique financial transaction.	25 per transaction		Minimum transaction value should be Rs 100. The incentive will be paid for maximum 20 unique transactions per calendar month. Only unique transactions will be eligible for incentive.
2	BHIM and BHIM-UPI app users of banks for financial transaction.	Number of transactions per month	Incentive per month (Rs.)	Minimum transaction value should be Rs 10. Calendar month will be used for calculation of “month”
		>=25 but less than 50	100	
		>=50 but less than 100	200	
		>=100	250	

1.5 Paragraph 3.1: Qualification to earn incentives:

- a) For “incentive for onboarding on BHIM app”, the user has to download, install and link BHIM app with the bank account/s and successfully complete one financial transaction of any value. The incentive will be paid

only one time and for the new users only.

- b) "Incentive for transactions over BHIM-UPI" will be paid separately for both unique transactions as well as total financial transactions as per the conditions mentioned in para Table-II.
- I. For incentive on unique transactions the users undertaking financial transactions on the BHIM app and/or BHIM-UPI apps of the banks shall be entitled to receive incentive on maximum 20 unique transactions in each calendar month. Minimum transaction value should be Rs 100.
 - II. All user transactions of value equal to or above Rs 10 will be eligible for incentive as per the conditions mentioned in S.No. 2 of Table-II.
- c) To be deleted.

1.6 Paragraph 3.2: To be deleted

1.7 Paragraph 3.3:

- a. Only valid approved transactions from BHIM app and BHIM-UPI apps of banks or *99# will be considered for the scheme.
- b. The "unique transaction" is the first financial transaction between any two BHIM-UPI users/VPA.
- c. Incentive on the transactions will be paid to the user whose account is debited for the "valid financial transaction".
- d. "Valid financial transaction": Money transfer from one bank account to another bank account of amount greater than or equal to Rs. 1 and less than or equal to Rs. 1,00,000.
- e. To be deleted.
- f. To be deleted.

Annexure 1: To be deleted

Annexure 2: To be deleted

COPALAKRISHNAN S., Joint Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

विषय: भीम (भारत इंटरफेस फॉर्म भनी) आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना का विस्तार और संशोधन।

सं.12/9/2017- डीपीडी-एमईआईटीबाई.—जबकि, केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 23 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए भीम आधार व्यापारियों के अंगीकरण को प्रोत्साहन देने तथा भीम आधार का प्रयोग करते हुए और गैर-संगठित क्षेत्र के साथ-साथ नागरिकों के बीच डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ भीम (भारत इंटरफेस फॉर्म भनी) आधार व्यापारी प्रोत्साहन नामक एक योजना अधिसूचित की है।

जबकि, केंद्र सरकार ने भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दिनांक 14 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 12/13/2017-डीपीडी के जरिए योजना को संशोधित किया और इसके प्रनालन को 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है।

अब, केंद्र सरकार एतद्वारा व्यक्तियों के लिए 'भीम (भारत इंटरफेस फॉर्म भनी) आधार व्यापारी प्रोत्साहन', योजना नामक विषय के अंतर्गत अधिसूचित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशित भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 23 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

पैराग्राफ 2 और 3 में किए गए प्रावधानों के लिए उपर्युक्त पैराग्राफों को निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात्:-

1.1 पैराग्राफ 2.1 भीम आधार व्यापारी प्रोत्साहन योजना 31 मार्च, 2019 तक प्रचालन में रहेगी।

1.2 पैराग्राफ : 2.3 -

- आधार प्रमाणन के बारे में उपकरण को कोई भान (जानकारी) नहीं होगी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से उपकरण यानि माइक्रो-एटीएम/पीओएस, एमपीओएस, कियोस्क/टेबलेट/मोबाइल हैंडसेट इत्यादि को शामिल किया गया है, परन्तु व्यापारिक ग्रतिष्ठान द्वारा भाल और सेवाओं की विक्री के लिए लेनदेन हो और भुगतान आधार संख्या और बॉयोमीट्रिक प्रमाणन द्वारा किया जाए। तथापि, माइक्रो-एटीएम के जिरए व्यापारिक पत्र अवहार (बीसी) के जरिए नियमित रूप से किए जाने वाले बैंकिंग संबंधी लेनदेन को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
- भीम आधार लेनदेनों के लिए प्रति लेनदेन 2 रुपए की न्यूनतम प्रोत्साहन और 50 रुपये की अधिकतम प्रोत्साहन के साथ 25 रुपए से अधिक या इसके समतुल्य और 10,000 रुपए से कम अथवा इसके समतुल्य राशि के लेनदेन मूल्य पर 5% की दर से प्रोत्साहन दिया जाए।
- लेनदेन मूल्य के 0.5% का संपूर्ण प्रोत्साहन अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा व्यापारी को दिया जाना है तथा किसी भी अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा अपनी बैंकिंग/प्रचालन संबंधी लागत को चुकाने के लिए प्रोत्साहन का कोई भी अंश नहीं रखा जा सकता है।

1.3 पैराग्राफ : 3.1 -

व) प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र न्यूनतम और अधिकतम लेनदेन मूल्य क्रमशः 25 रु. और 10,000 रु. है।

1.4 पैराग्राफ : 3.2 -

(ii) भीम आधार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य व्यापारी की प्रचालन संबंधी लागत को चुकाना तथा भीम आधार आधारित डिजिटल भुगतान संबंधी लेनदेन को प्रोत्साहित करना है।

2. अनुबंध 1-

क) "वैध वित्तीय लेनदेन - 25 रुपए से अधिक या इसके समतुल्य और 10,000 रुपए से कम अथवा इसके समतुल्य राशि का लेनदेन"।

3. अन्य शर्तें व नियंत्रण अपारिवर्तित रहेंगी।

गोपालकृष्णन एस., संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2018

Subject: Extension and modification in the BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Merchant Incentive Scheme

No. 12/9/2017-DPD-MeitY.—WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 23rd June 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-1, Section-1, notified a Scheme namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Merchant Incentive, with the aim to incentivize adoption of BHIM Aadhaar merchants and promote digital payments across un-organized sector as well as the citizens using BHIM Aadhaar.

WHEREAS, the Central Government vide notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No 12/13/2017-DPD dated 14th August 2017, extended the operation of the scheme till 31st March 2018.

AND WHEREAS, the Central Government has reviewed the scheme.

Now, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology No. 12(84)/2017-DPD dated 23rd June 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-1 Section-1, notified under the subject namely 'BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhaar Merchant Incentive scheme:-

1. For provisions in paragraph 2 & 3, the following provisions in the said paragraphs are substituted namely:-

1.1 Paragraph 2.1- The BHIM Aadhaar Merchant Incentive Scheme will be operational till 31st March 2019.

1.2 Paragraph 2.3 -

- Aadhaar Authentication be device agnostic and any device viz., Micro-ATM/PoS, mPoS, Kiosk/Tablet/Mobile Handset etc be covered provided that the transaction is for sale of goods & services by a merchant establishment and payment is by Aadhaar Number & Biometric authentication. However, regular Business Correspondent (BC) banking transactions through microATM will not be covered under the scheme.
- BHIM Aadhaar transactions may be given an incentive @ 0.5% of the transaction value for the transactions greater than or equal to Rs 25 and less or equal to Rs 10,000 with a minimum incentive of Rs 2/- and maximum incentive of Rs 50/- per transaction. Maximum incentive is restricted to Rs 2,000/- per merchant per month. No incentive is to be offered to the bank.
- Entire incentive of 0.5% of the transaction value has to be passed on to the merchant by the acquiring bank and no part of the incentive can be retained by the acquiring bank to defray any of its banking/operating costs.

1.3 Paragraph 3.1 –

- b. The minimum and maximum transactions values eligible under the incentive program is Rs 25 and Rs 10,000 respectively.

1.4 Paragraph 3.2 –

- ii. BHIM Aadhaar incentive scheme is meant to defray the operational cost of the merchant and promote BHIM Aadhaar based digital payment transactions.
2. Annexure 1 –
- a. "Valid Financial Transactions – Transaction amount greater than or equal to Rs 25 and less than or equal to Rs 10,000".
3. Other terms and conditions remain unchanged.

GOPALAKRISHNAN S., Jr. Secy

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.15
7:35:11 +05'30'



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ०५
No. ०५]

नई दिल्ली, यंगलबाहर, जनवरी २, २०१८/पौष १२, १९३९

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSA 12, 1939

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, २७ दिसम्बर, २०१७

विषय : २००० रु. या इससे कम मूल्य के डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/ईपीएस लेनदेनों पी एमडीआर प्रभार में छूट प्रदान करना।

सं. ६(१९)/२०१७-डीपीडी-१:—

1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल अवसरत्वना, डिजिटल शासन और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवा कर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है। डिजिटल भुगतान इको सिस्टम का संवर्धन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का अतिवार्य अंग है और इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने तथा उन सभी लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं का समावेशन करने की क्षमता है जो बचे रह गए हैं।
2. १ फरवरी, २०१७ को वित्त मंत्री ने अपनी बजट भाषण में वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिए २,५०० करोड़ के डिजिटल भुगतान लेनदेनों के लक्ष्य की उम्मेदाना की थी।
3. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र में, व्यापारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां लगभग ९०% व्यापारी किराने की छोटी दुकानों, स्थानीय आउटलेट इत्यादि के रूप में असंगठित क्षेत्र से आते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे विक्रेता, ऑटो/टैक्सी ड्राइवर इत्यादि हैं, जो असंगठित व्यापारियों का बड़ा हिस्सा हैं। इनमें से प्रत्येक व्यापारी की लेनदेन राशि आमतौर पर छोटी होती है।
4. जब डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे भुगतान इकोसिस्टम में कोई भुगतान पीओएस मशीन या क्यूआर 'स्कैन और भुगतान' या ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से व्यापारी विक्री विन्दु (पीओएस) पर किया जाता है तो व्यापारिक छूट दर (एमडीआर), व्यापारी द्वारा उसके बैंक (अधिग्रहणकर्ता) को देय होती है।

5. आरबीआई ने 6 दिसम्बर, 2017 को डेविट कार्ड लेनदेनों के लिए लागू एमडीआर पुनः संशोधित करते हुए एक निदेश जारी किया है जो 01.01.2018 से प्रभावकारी होगा जिसमें लेनदेनों के लिए व्यापारी श्रेणीवार विशिष्ट एमडीआर दरें प्रस्तावित की गई हैं।
6. सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छोटे लेनदेन जो 2000 रुपए या इससे कम मूल्य के हैं, पर एमडीआर शुल्क वापस किया जाएगा ताकि ऐसे डिजिटल भुगतान लेनदेनों को बढ़ावा दिया जा सके। व्यापारी के लिए ऐसे लेनदेनों पर एमडीआर प्रभावकारी रूप से शून्य हो जाएगा और अतः वे नकद लेनदेन के बराबर हो जाएंगे। इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नानुसार हैं:
- i. 1 जनवरी, 2018 से 2000 रुपए या इससे कम मूल्य वाले लेनदेनों पर डेविट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे लेनदेनों पर लागू एमडीआर, दो वर्षों की अवधि के लिए सरकार द्वारा बहन किया जाएगा और ऐसे अधिग्रहणकर्ता बैंकों को इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी ताकि ऐसे लेनदेनों के संबंध में व्यापारियों को कोई एमडीआर न देना पड़े। तदनुसार, इस योजना के अंतर्गत बैंक सभी पात्र लेनदेनों के लिए व्यापारियों से कोई एमडीआर शुल्क बस्तु नहीं करेंगे और इसके परिणामस्वरूप एमडीआर को कारण बताकर ग्राहकों से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
 - ii. 2000 रुपये या इससे कम मूल्य वाले लेनदेनों के पामले में कोई एमडीआर लागू नहीं होगा। तथापि, 2000 रुपये से अधिक के लेनदेनों पर, एमडीआर पूरे लेनदेन मूल्य पर लागू होगा। उदाहरण के तौर पर, 1800 रुपये मूल्य के लेनदेन के मामले में कोई एमडीआर लागू नहीं होगा और 2300 रुपये के लेनदेन के संबंध में, एमडीआर पूरे 2300 रुपये के लेनदेन पर लागू होगा।
 - iii. प्रत्येक अधिग्रहणकर्ता बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि आरबीआई के प्रानंगिक अनुदेशानुसार, डेविट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों को सम्मिलित करने वाले व्यापारियों के साथ कोई "ब्राउज़" करारनामा नहीं होना चाहिए।
 - iv. दिनांक 6.12.2017 के आरबीआई के निवेशानुसार करारनामों में यह खंड सम्मिलित होना चाहिए कि डेविट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे के जरिए भुगतानों को स्वीकृत करते समय व्यापारियों द्वारा एमडीआर शुल्क का ब्रोज़ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा।
 - v. प्रत्येक अधिग्रहणकर्ता बैंक को निर्धारित किए जाने वाले प्रारूप में संबंधित प्रतिपूर्ति दावे को प्रस्तुत करना होगा।
 - vi. ऐसे दावे के साथ यह प्रमाणपत्र लगाना होगा कि जारीकर्ता बैंक और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटर पर बकाया एमडीआर प्रभार के शेयर का पूर्णतः भुगतान कर दिया गया है और अधिग्रहणकर्ता बैंक के शेयर को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर लिया गया है।
 - vii. प्रत्येक तिमाही के लिए अधिग्रहणकर्ता बैंक, डेविट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार पे लेनदेनों (ऑन-शूएस और ऑफ शूएस लेनदेनों का अलग-अलग प्रदर्शन करने वाले) की मात्रा और मूल्य संबंधी अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
 - viii. दावे के साथ-साथ अधिग्रहणकर्ता बैंक अपने लेखापरीक्षक से प्राप्त एक प्रमाणपत्र आरबीआई के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जांचे जा रहे दावों के संबंध में एमडीआर का शुल्क न तो व्यापारी द्वारा उपभोक्ता से लिया गया है और न ही बैंक द्वारा व्यापारी से यथा लागू कम मूल्य के लेनदेन के लिए लिया गया है।
 - ix. यह योजना भारत में प्रचलन करने वाले बैंकों पर तथा भारत में किए गए लेनदेनों पर लागू है।
 - x. दिनांक 01.01.2018 से अधिग्राहक बैंकों को एमडीआर की पूतिपूर्ति संबंधी मुद्रों पर विचार-विमर्श करने के लिए न्यापित समिति ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और अग्रणी अधिग्राहक बैंकों से प्राप्त इनपुटों का परीक्षण किया है और दिनांक 1.1.2018 से एक तिमाही के लिए कम मूल्य के ऐसे लेनदेनों पर एमडीआर की प्रतिपूर्ति के संबंध में 2000 रुपये अथवा इससे कम मूल्य के कुल डेविट कार्ड लेनदेनों के मूल्य के 0.40% कैप का सुधार दिया है। समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि प्रतिपूर्ति के लिए एक विस्तृत सलाहकार प्रक्रिया भी की जा सकती है।
 - xi. अतः दिनांक 01.01.2018 से शुरू होने वाली 1 तिमाही के लिए अधिग्राहक बैंकों के लिए एमडीआर प्रतिपूर्ति पर कैप होगा जो 2000 रुपये या इससे कम के डेविट कार्ड/भीम यूपीआई/आधार-पे लेनदेनों के कुल मूल्य के 0.40% पर होगा।

- xii. सलाहकार प्रक्रिया जिसमें आरबीआई, आईबीए और बैंक शामिल हैं के माध्यम से ऐसे कम मूल्य वाले लेनदेनों के संबंध में प्रतिपूर्ति तंत्र तैयार किया जाएगा। इसके बाद तिमाही आधार पर एमडीआर की प्रतिपूर्ति हेतु अधिग्राहक बैंकों के लिए प्रक्रिया तैयार की जाएगी तथा इसके विषय में संबंधित सभी को जानकारी दी जाएगी।
7. बैंकों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि 01.01.2018 से कम मूल्य के लेनदेनों के लिए एमडीआर प्रतिपूर्ति की इस नई योजना में परिवर्तन निर्विचल रूप से किया जाए।

गोपालकृष्णन एस. संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2017

Subject : Subsidizing MDR charges on Debit Cards/BHIM UPI/AePS transactions of value less than or equal to Rs. 2000/-.

No. 6(19)/2017-DPD-1.—

- 1) The Digital India Programme envisions transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy by making available digital infrastructure, digital governance and digital services to every citizen. Promotion of digital payments ecosystem is an essential aspect of the Digital India programme and has the potential to transform India's economy and extend inclusion of financial services to all those who remain excluded.
- 2) Finance Minister in his Budget Speech on February 1, 2017 had announced a target of 2,500 crore digital payment transactions for FY. 2017-18.
- 3) In the digital payments ecosystem, merchants play a very crucial role especially in a country like India where nearly 90% of merchants are from the unorganized sector in the form of small grocery stores, local outlets, etc. Besides, there are vendors, auto/taxi drivers etc., who constitute a large share of unorganized merchants. The transaction amount at each of these merchants is generally small.
- 4) In the Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay payment eco system, when any payment is made at a merchant Point of Sale (POS) through a POS machine or QR "scan & pay" or online mode of payment, Merchant Discount rate (MDR) charge is payable by the merchant to his bank (Acquirer). A portion of this is shared by the acquirer bank with the card issuing bank and the card network operator.
- 5) RBI has issued a directive on 6th December, 2017 revising MDR applicable for debit card transactions which will be effective from 01.01.2018 wherein merchant category wise differential MDR rates have been proposed for transactions.
- 6) It has been decided by the Government to reimburse the MDR charges on small transactions which are less than or equal to Rs. 2000/- in value so that such digital payment transactions are promoted. The MDR on such transactions for the merchant will effectively become zero and hence they will come on par with cash transactions. The salient features of the scheme are as follows:-
 - i) MDR applicable on Debit Card/BHIM UPI/Aadhaar-Pay transactions less than or equal to Rs. 2000/- in value will be borne by Government for a period of two years with effect from 1st January, 2018 by reimbursement of the same to the acquirer banks so that no MDR is payable by the merchant in respect of such transactions. Accordingly, the banks shall not charge any MDR from merchants for all eligible transactions under this scheme and consequently the consumers will not be overcharged citing MDR as a reason.
 - ii) No MDR will be applicable in case of transaction value less than or equal to Rs. 2000/- However, for transaction value above Rs. 2000/-, MDR would be applicable on the entire transaction value. For example, no MDR will be applicable in case of a transaction value of Rs. 1800 and in respect of a transaction of Rs. 2300/-, MDR would be applicable on the entire transaction value of Rs. 2300/-.

- iii) Each acquirer bank has to ensure that in accordance with the relevant RBI instructions, there should be no "bundled" agreement with the merchants covering both debit cards & credit cards.
 - iv) In line with the RBI instructions dated 6.12.2017, the agreements should include a clause that MDR charges should not be passed on by the merchants to the customers while accepting payments through debit cards/BHIM UPI/Aadhaar Pay.
 - v) Each acquirer bank will be required to submit their respective reimbursement claims in the format to be laid down.
 - vi) Such claim shall be accompanied with a certificate that the share of the MDR charges that is due to the issuer bank and the card network operator have been paid in full and the share of the acquirer bank has been clearly identified.
 - vii) For every quarter the acquirer banks should submit a report duly certified by their statutory auditors regarding the volume and value of the debit card/BHIM UPI/Aadhaar Pay transactions (showing on-us and off-us transactions distinctly).
 - viii) Along-with the claim, the acquirer banks should submit to the RBI, a certificate from their auditor confirming that with respect to the claim under examination, MDR has neither been charged from the consumer by the merchant nor charged by the bank from the merchant in respect of the applicable low value transactions.
 - ix) The Scheme is applicable to banks having operations in India and transactions done in India.
 - x) The Committee set up to look into the issues relating to reimbursement of MDR to the acquirer banks with effect from 1.1.2018, has examined the inputs from Indian Banks Association (IBA) and leading acquirer banks and has suggested a cap of 0.40% of value of total debit card transactions less than or equal to Rs. 2000/- with regard to reimbursement of MDR on such low value transactions for a period of one quarter with effect from 1.1.2018. The committee has also recommended that a detailed consultative process for the reimbursement may be worked out.
 - xi) Therefore, for a period of one quarter starting from 1.1.2018 there will be a cap on MDR reimbursable to the acquirer banks which will be at 0.40% of the total value of the debit card/ BHIM UPI / Aadhaar Pay transactions less than or equal to Rs. 2000. If felt necessary this cap could be revisited thereafter.
 - xii) The reimbursement mechanism in respect of such low value transactions would be evolved through a consultative process involving the RBI, IBA and banks. Thereafter, the procedure for quarterly reimbursements of MDR to the Acquirer banks will be worked out and communicated to all concerned.
- 7) The banks are requested to ensure that the transition to this new scheme of MDR reimbursement for low value transactions w.e.f 1.1.2018 is done smoothly without any hitch.

GOPALAKRISHNAN S., Jt. Secy.

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.01.02 19:27:35
HSTN